कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

क्रमांकः–व–15(21)आरपीए/जन/विविध/2016/3261 दिनांकः– 26-06-2024

खुली बोली आमंत्रित सूचना

अकादमी परिसर में विद्युत का भार काफी अत्यधिक होने पर सौर उर्जा से विद्युत के कनेक्शन को जोड़ने के लिए मूल विनिर्माताओं/औथोराईड डीलर/सद्भावी थोक विक्रेताओ से केबल क्रय के लिए उपापन हेतु दर संविदा की जानी है, जिसके लिए मोहरबन्द दिनांक 26.06.2024 से 08.07.2024 को 1.00 बजे तक आंमत्रित की जाती है निविदा सूचना www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है–

क्र. सं.	आईटम	अनुमानित राशि (लाख)	अमानत राशि रू.	निविदा फार्म मूल्य	**निविदा खोलने की तिथि**
1.	संस्था परिसर में सौर उर्जा कनेक्शन से विद्युत के कनेक्शन को जोड़ने के लिए केबल क्रय (परिशिष्ट–ए के अनुसार)	**5.50 लाख**	**अनुमानित की 2 प्रतिशत राशि**	**200.00 रू**	**08.07.2024**

निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा) से निर्धारित शुल्क (नगद/बैकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। या spp पोर्टल से डाउनलोड कर प्रस्तुत किया जा सकता जिसके लिए निविदा फार्म का निर्धारित शुल्क 200 का डी.डी./बैंक चैकर्स निविदा के साथ लगाना होगा तथा निर्धारित बिड प्रतिभूति जमा करानी होगी इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

उप निदेशक एवं प्राचार्य
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।
2. लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
3. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि sppp पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर सीमित निविदा प्रारूप एवं शर्तो के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
4. प्रभारी .... आर.पी.ए. जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

उप निदेशक एवं प्राचार्य
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर।

क्रमांकः– व–15(21)आरपीए/जन/विविध/2016/ दिनांकः–

तकनीकी निविदा प्रारूप

1. अकादमी परिसर में विद्युत का भार काफी अत्यधिक होने पर सौर उर्जा से विद्युत के कनेक्शन को जोड़ने के लिए केबल क्रय के लिए उपापन हेतु दर संविदा की जानी है
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता, ई–मेल एवं मोबाईल नं0 ..
....
....
....
....

बोलीदाता का :– पैन नं. ....

जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं. ....

3. किसको सम्बोधित की गयी–निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. सन्दर्भ :–
5. निविदा शुल्क की राशि रू 200/– बैकर चैक/बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट सं. .... दिनांक .... के द्वारा जमा करा दी गई है।
6. निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्या..................... दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों के हमारें द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो में बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. कार्य का विवरण एवं स्पेशिफिकेशन परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।
8. निविदाएं मोहरबन्द लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी।
9. कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
10. निविदा शुल्क राशि रूपये 200/– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा जमा करवाया जायेगा,, इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. इसके साथ जी.एस.टी./एवं अद्यतन विक्रीकर शोधन प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
12. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है।
13. निविदा शर्ते मेरे द्वारा देख ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

1. निविदायें मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 08.07.2024 प्रात 01.00 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में आरपीए, जयपुर लेखाधिकारी कक्ष में स्थित टेण्डर बॉक्स में डाली जा सकती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 08.07.2024 को 03.15 ए.एम. पर उपापन समिति निविदा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
2. निविदादाता निविदत्त वस्तु में मूल विनिर्माताओं/औथोराईड डीलर/सदभावी थोक विक्रेताओ होने चाहिए।इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, अद्यतन बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
4. जो निविदाऐं निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा में जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागु होगे।
6. क्रय समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. निविदादाता निविदत्त वस्तु के लिए विनिर्माताओं, प्राधिकृत व्यवहार्यी या सद्भावी व्यवहारी होना चाहिए। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
8. सफल निविदादाता को नियमानुसार प्रतिभूति जमा करानी होगी।
9. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षो में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में ड़ाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नही होना चाहिए। (राशि रूपये 100/– के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत् स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
10. बोलीदाता के पास गत 3 वित्तीय वर्षो 2020–2021, 2021–22 व 2022–23 मे राशि रूपयें 8.00 लाख का औसत टर्नओवर होना चाहिए। (गत तीन वित्तीय वर्ष 2020–2021, 2021–22 व 2022–23 के सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षित अन्तिम लेखों यथा व्यापार खाता/लाभ–हानि खाता/बैलेन्स सीट संलग्न करें अथवा सनदी लेखाकार द्वारा जारी टर्नओवर का प्रमाण–पत्र संलग्न करें एवं सी.ए. के द्वारा जारी किये गये रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित हो।)
11. बोली दाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।(पेन कार्ड की स्व–सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें।)
12. फर्म का जी.एस.टी में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। (GST रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करें।)
13. बोली के साथ संलग्न संलग्नक A, B एवं D (बोली के साथ संलग्न A, B एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होंगे।)
14. बोलीदाता को प्रदाय की जाने वाली सामग्री का प्राधिकृत विक्रेता होना आवश्यक है। प्राधिकृत डीलर होने का स्व हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र अपेक्षित है।
15. बोलीदाता को उक्त कार्य का वित्त वर्षो(2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) का कार्यानुभव होना आवश्यक है।

A. बोलीदाता को निर्देश :–

1. बोलियाँ ऑफलाइन माध्यम से एकल पद्वति से प्राप्त की जावेगी।
2. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी. / बैंकस चैक / FDR / बैंक गारन्टी(जो निदेशक, RPA, के नाम से है।) के माध्यम से जमा करना होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नही किया जावेगा।
3. सफल बोलीदाता / अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नही किया जा सकेगा।
4. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
5. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के पन्द्रह दिवस के भीतर नियमानुसार राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा।
6. बोलीदाता को इस बोली-प्रपत्र के साथ संलग्नक A, B एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होगें।
7. सफल बोलीदाता द्वारा कार्य–सम्पादन प्रतिभूति राशि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के अनुसार बोली स्वीकार किये जाने की तिथि से 1 दिवस के भीतर अनुसूचित **बैंक द्वारा जारी डी.डी. / एफडीआर / बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो)** से जमा करानी होगी। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
8. संविदा अवधि मे सफल बोलीदाता एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
9. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों मे ही प्रस्तुत किये जा सकेगें।
10. अनुबन्ध अवधि के दौरान सामग्री की दरें स्थिर रहेगी। इनमे किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नही होगी। दरों मे कमी के सम्बन्ध मे राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 का नियम 29 (2–ज) प्रभावी होगा।

B. **कार्य निष्पादन सम्बन्धी शर्तें :–**

1. दरें, अंको एवं शब्दों मे अंकित की जानी चाहिए। दरें प्रति इकाई रूपयें मे अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।
2. आदेशित माल/सेवा की आपूर्ति कार्यादेश जारी तिथि से 02 दिवस मे नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी संवेदक से वसूलनीय होगी।
3. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि सामग्री/सेवा आपूर्ति नहीं की जाती है, कम मात्रा में आपूर्ति की जाती है अथवा घटिया गुणवत्ता की सामग्री/सेवा की आपूर्ति की जाती है तो संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर खुले बाजार से क्रय/कार्य कर लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे से कर ली जावेगी।
4. अपूर्ण/असंतोषजनक/घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति करने अथवा आपूर्ति नहीं/विलम्ब से किए जाने पर अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है।
5. बोली खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/कार्य–सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता/संवेदक के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
6. अनुबन्धकर्ता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले सामग्री को सही स्थिति मे अकादमी तक पहुँचाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। परिवहन मे हुये किसी प्रकार की क्षति की जिम्मेवारी अनुबन्धकर्ता की ही होगी।
7. साउण्ड सिस्टम की गुणवता उच्च स्तर की होनी चाहिए, यदि सिस्टम की गुणवता दोषपूर्ण रही तो नियमानुसार शास्ति आरोपित की जा सकती है।

C. **मूल्यांक कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रक्रिया :–**

1. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 में वर्णित प्रकिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
2. न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नही होगी।
3. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावें, अकादमी स्वविवेक से एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है। समान सामग्री/कार्य के लिए एक से अधिक बोलीदाताओं से भी समान दरों पर अनुबन्ध किया जा सकता है।
4. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा मे यह आवश्यक नही है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति बोलीदाता द्वारा दरों की औचित्यता के आधार पर न्यूनतम से अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।

D. **अन्य शर्ते/अनुदेश :–**

1. निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 2 घण्टे का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा–खर्चा नहीं दिया जायेगा।

2. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

3. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण अकादमी जयपुर (सामान्य शाखा) एवं बोली प्रपत्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार)

4. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

5. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2013 की धारा-**38** के तहत् कोई भी बोलीदाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी **उप महानिरीक्षक पुलिस एवं अतिरिक्त निदेशक आरपीए, जयपुर** के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक, आरपीए जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। (अनुलग्नक–'स')प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः राशि रूपये 2500/– एवं राशि रूपये 10000/– निर्धारित है, जो अपीलकर्त्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। अपील के साथ जमा कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी।

6. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।

7. कार्य सम्पादन के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य हेतु उपलब्ध कराए गए किसी श्रमिक को कोई शारीरिक अथवा मानसिक हानि होती है, जो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्त्ता की होगी। अकादमी की किसी परिसम्पत्ति की हानि उक्त कार्य के कारण होती है तो उक्त नुकसान/हानि की वसूली अनुबन्धकर्त्ता से की जा सकेगी।

8. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पताः–
गोदाम का पताः–
मोबाइल/दूरभाषः–

परिशिष्ट "द"
पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर
बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिस वस्तु/स्टोर/कार्य के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) (जो ISO-9001/ISO-9002/ISO-9000/ISO-4000 प्रमाण पत्र धारक हो) थोक विक्रेता/थोक वितरक/सोल सेलिंग एण्ड मार्केटिंग एजेण्ट/प्राधिकृत नियमित डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं ई तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर
पूर्ण पता
टेलीफोन नं.

50 रूपये का शपथ पत्र

मै. ....

यह है कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृति में लिप्त नहीं है और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर
पूर्ण पता
टेलीफोन नं.

"वित्तीय प्रस्ताव"

परिशिष्ट "ई "

(बोली प्रपत्र –प्राईस बीड)

बोली आमंत्रण सूचना कमांकः दिनांक

1...के लिए बोली

(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई हैं)

बोली प्रस्तुत करने वाली फर्मः–...

का नाम, डाक का पूर्ण पताः–...

दूरभाष फैक्स नम्बर एवं ईमेल आईडीः–...

3 बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :–निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

4 सन्दर्भ बोली आमंत्रण सूचना संख्या–...

दिनांक ....जो...

(समाचार पत्र का नाम) दिनांक... में प्रकाशित हुई है।

नोटः– (i) दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवें।

(ii) अस्पष्ट वाक्य जैसेः–'टैक्स पेड, कर सहित 'एज एप्लीकेबल का प्रयोग नहीं किया जावे।

5 बोली भरने की प्रक्रियाः–

ई–बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना निविदा की शतों में उल्लेखित कर दी गई है। तदनुरूप ही बोली प्रस्तुत की जावे अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

परिशिष्ट–ए

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर।

क्रमांकः– व–15(21)आरपीए / जन / विविध / 2016 / दिनांकः–

वित्तीय निविदा

(देखिए नियम 68)

1. सौर उर्जा कनेक्शन से विद्युत के कनेक्शन को जोड़ने के लिए केबल दर अनुबन्द हेतु निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवम् डाक का पता..
....
................बोलीदाता का :– पैन नं. ....
जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं. ....
3. किसको संबोधित की गयीः निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. संदर्भः–
5. निविदा फर्म की राशी रूपये 200 डीडी / बैंकर चैक संख्या ....दिनांक .... द्वारा जमा करा दी गई है।
6. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्या..................... दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा सलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो के हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
7. निम्नलिखित मदों के प्रदाय के लिये दरें निम्न प्रकार हैः–

क्र सं.	आइटम का नाम	अनुमानित मात्रा	दर	जी.एस.टी एवं अन्य कर	कुल लागत	अन्य विवरण
1.	Divc Pipe (ID 63/OD 75mm)	210.00 Mtr				
2.	Divc Pipe (ID 90/OD 110)	290.00 Mtr.				
3.	3.5C x 120sqmm Alu. Ar, H/v Ind. Cable (Polycab)	120.00 Mtr.				
4.	3.5C x 150sqmm Alu. Ar. H/v Ind. Cable (Polycab)	110.00 Mtr.				
5.	3.5C x 240 sqmm Alu. Ar, H/v Ind. Cable (Polycab)	300.00 Mtr.				

1. उपरोक्तानुसार कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई अथवा बढाई जा सकती है।
2. कार्य आवश्यकतानुसार प्रतिमाह करवाया जावेगा।
3. उपरोक्त दरें एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी। इसके आगे आपसी सहमति पर अवधि बढाई जा सकेगी।

4. बैक ड्राफ्ट / बैकर्स चैक सं.....................दिनांक .... द्वारा / नकद रसीद संख्या .....
दिनांक ....द्वारा राशी रूपये 3600 / – बयाना राशी के पेटे जमा करवायी गयी है।

5. इसके साथ आयकर चूकती प्रमाण पत्र एवं जी.एस.टी. न. भी अंकित करें। जी.एस.टी. न. के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

6. विनिर्माता / डीलर आदि का घोषणा पत्र एस. आर.11 में सलंग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर